

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), संत कबीर नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1002/2026

UPSK010026292026

1. मीला पत्नी रामदयाल, साकिन-जिगना, थाना-महुली,
जनपद-सन्त कबीर नगर।
2. माधुरी पुत्री पतिराम, साकिन बरईपार, थाना-खलीलाबाद,
जिला-सन्त कबीर नगर।

.....अभियुक्तागण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य।

..... विपक्षी

मु०अ०संख्या-0780/2024

धारा-115(2), 352, 351(3) BNS

थाना-खलीलाबाद, जनपद-संत कबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र:

अभियुक्तागण **मीला व माधुरी** का जमानत प्रार्थना-पत्र सुनवाई हेतु पेश हुई।

सुनवाई के दौरान अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उन्हें जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल नहीं देना है और इसी आशय का अंकन जमानत प्रार्थना-पत्र पर किया गया है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्तागण उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र, बल न देने के कारण **निरस्त** किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)

संत कबीर नगर।

30.06.2026